

विधिक जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम



गर्भधारण प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (PCPNDT Act) के तहत गर्भ में लिंग जांच दंडनीय अपराध है। लिंग जांच करवाने के मामले में 3 साल तक की जेल और ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

बनें जागरूक जानें अधिकार

महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी व किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत के लिए 1090 पर टोल फ्री कॉल करें या www.doj.gov.in पर जाएं



न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

बेटा-बेटी एक समान समझ लो तुम ये बात,
गर्भावस्था में लिंग जांच का न करो अपराध